आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 03.10.2025 समय : 0705

<><><><><><><><>

1. वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीज़न–2025–26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है।
2. द्वीपसमूह में कृषि विभाग की ओर से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन योजना लागू किया जा रहा है।
3. सौर रूफटॉप परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कल लाभार्थी पहचान शिविर का आयोजन किया जाएगा।
4. डाक विभाग की ओर से राष्ट्र स्तरीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है।

<><><><><><><><>

वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीज़न–2025–26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीज़न–2025–26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि वह निर्बाध खरीदारी, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। इस वक्तव्य में कहा गया कि बैठक के दौरान स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिचालन मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड पांच सौ पचास कपास खरीदारी केन्द्र ग्यारह राज्यों में कार्यरत किए गए हैं। ये केन्द्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। राज्यों को कपास–किसान एप्लिकेशन के जरिए भागीदारी और किसानों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। यह ऐप डिजिटल पंजीकरण और उचित समय पर भुगतान करने को लेकर किसानों को समर्थ बनाता है। स्थानीय निगरानी समिति निकटम निगरानी के लिए प्रत्येक केन्द्र पर गठित की गई है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने किसानों की चिंताओं का तीव्र निराकरण के लिए समर्पित व्हाट्सऐप हेल्पलाइन भी शुरू किया है।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। आज हम पर्यटन क्षेत्र में हुए सुधारो पर चर्चा कर रहे हैं।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में कृषि विभाग की ओर से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य सभी किसानों को उपकरणों की लागत पर 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के इच्छुक लोगों को लाभान्वित करती है। विभाग की एक अन्य पहल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना है, जहाँ पात्र किसान किराए पर आधुनिक कृषि मशीनरी प्रदान करने वाले केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये केंद्र किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सीडर जैसे उपकरणों को अलग से खरीदे बिना इस्तेमाल करने में सक्षम बनाते हैं। सीएचसी के लिए वित्तीय सहायता परियोजना लागत के 40 प्रतिशत पर सब्सिडी सीमा के अनुसार प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए ग्रामीण उद्यमी, सहकारी समितियां, दीन दयाल उपाध्याय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत किसान समितियां, एफ पी ओ और पंचायत पात्र हैं। किसानों, एफपीओ और अन्य इच्छुक लोगों से पात्रता, सब्सिडी दरों और आवेदन प्रक्रिया के विवरण के लिए नजदीकी कृषि उप–डिपो या क्षेत्रीय कृषि कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए किसान किसान कॉल सेंटर से भी संपर्क किया जा सकता है ।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय से प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत RESCO मोड में 30 मेगावाट की सौर रूफटॉप परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थी पहचान अभियान चलाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। दक्षिण अंडमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पहचान अभियान विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पहले से ही शामिल पात्र लाभार्थियों के चयन पर केंद्रित होगा। इस सिलसिले में कल जंगलीघाट स्थित खेतान कल्याण मंडपम, फरारगंज के गांधी भवन सम्मेलन कक्ष और

प्रातरापुर सामुदायिक भवन में सुबह दस बजे से विशेष लाभार्थी शिविर लगेगा। लाभार्थियों से इन शिविरों का लाभ उठाने को कहा गया है।

<><><><><><><>

डाक विभाग की ओर से राष्ट्र स्तरीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 8 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसका विषय है "मेरे आदर्श को पत्र"। पत्र अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है, जिसकी अधिकतक सीमा सादे कागज़ पर, अधिकतम 1000 शब्द और अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर 500 शब्द है। प्रतियोगिता में केवल हस्तलिखित पत्र ही स्वीकार किए जाएँगे। प्रविष्टियां केवल उभरे हुए लिफाफे या डाक टिकट लगे लिफाफे और अंतर्देशीय पत्र कार्ड में ही स्वीकार्य होंगे। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। द्वीपसमूह के प्रतिभागियों का चयन पश्चिम बंगाल मंडल द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मंडल हर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तीन प्रविष्टियां का चयन करेगा और इन प्रविष्टियों को परिमंडल स्तर पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। इन चुनी गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पत्र "मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल मंडल, कोलकाता" के पते पर भेजे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, से फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के तहत अनिम्स की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बम्बूफ्लाट और उसके आसपास के स्कूलों में स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरों के स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करना था। दो सप्ताह तक चले इस अभियान में अनीमिया की रोकथाम और प्रबंधन पर स्वास्थ्य वार्ता, कैंसर जागरूकता और स्क्रीनिंग सत्र और व्यक्तिगत पोषण परामर्श और व्यक्तिगत स्वच्छता पर जानकारी दी गई।

<><><><><><><>